दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR
कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 752/OA-787/A.K. Baliyan/2019 दिनाँक Dated 31-7-19

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : ngt.filing@gmail.com

Sub.- Action Taken Report in compliance to the order dated 16.04.2019 passed by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of OA No. 787 of 2018 Arvind Kumar Baliyan Vs State of Uttar Pradesh.

Sir,

With reference to the subject mentioned above kindly find enclosed herewith the action taken report to the order passed on 16.04.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in OA No. 787 of 2018 Arvind Kumar Baliyan Vs State of Uttar Pradesh.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Vivek Roy)
Regional Officer

Copy to :

1. District Magistrate, Muzaffarnagar for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

F: Letters 2019.doc

Action Taken Report in compliance to the order dated 16.04.2019 passed by Hon'ble National Green Tribunal in the matter of OA No. 787 of 2018 Arvind Kumar Baliyan Vs State of Uttar Pradesh.

In the OA No. OA No. 787 of 2018 Arvind Kumar Baliyan Vs State of Uttar Pradesh, Hon'ble NGT passed the order dated 16.04.2019 as under :

"......5. Learned Counsel appearing for the UPSPCB states that action has been initiated for closing the unit for violating the environmental norms and also recovery of compensation for damage caused to the environment. However, there is no material to show the effective action on the ground. The compensation to be recovered must be deterrent and cover the entire period of pollution and not mere the period after the inspection.

6. Let a further action taken report be filed before the next date by e–mail at ngt.filing@gmail.com."

In compliance of the above order state pollution control board has imposed environmental compensation Rs. 13.50 Lac vide letter no. H35107/C-3/Jal-256/M.Nagar/2019 dated 23.04.2019 to M/s. Indian Potash Limited (Unit Titawi Sugar Complex). State board previously imposed environmental compensation of Rs. 21.00 Lac on the industry vide letter no. H32761/C-3/Jal-256/K.B./M.Nagar/2019 dated 15.02.2019. Industry has submitted Rs. 1.00 Lac only as environmental compensation. State board has issued letter to

District Magistrate, Muzaffarnagar to recover the amount Rs. 33.50 lac as land revenue vide letter dated 23.05.2019. State board has also issued closure order to M/s. Indian Potash Limited (Unit Titawi Sugar Complex) vide letter no. H35753/C-3/Jal-256/B.A./M.Nagar /2019 dated 13.05.2019. The industry has stopped its production since 20.05.2019. The copies of the above letters are attached herewith.

The action taken report is forwarded for your kind perusal.

(Vipul Kumar)
Junior Engineer

(Dr. D.C. Pandey)
Asstt. Sci. Officer

<u>REGIONAL OFFICER</u>

Regd. 28-5-19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H 35207 / सी–3 / जल–256 / मु0नगर / 2019 दिनांक 23/4/19

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 इंडियन पोटाश लि0 (यूनिट–तितावी शुगर काम्प्लेक्स),
ग्राम व पोस्ट–तितावी,,
जनपद–मुजफ्फरनगर।

विषय:– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। आपके उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनॉक 29.03.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई द्वारा स्प्रे पाण्ड ओवरफ्लो एवं एक्सेस कूलिंग टावर कन्डनसेट को ई.टी.पी. के माध्यम से शुद्धिकृत न करते हुए बाईपास ड्रेन द्वारा रोड साइड ड्रेन में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त ड्रेन लगभग 3.5 कि0मी0 की दूरी पर सीधे हिण्डन नदी में मिलती है। उद्योग द्वारा निस्तारित आंशिक शुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण से हिण्डन नदी की जलगुणता पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय ड्रेन के एकत्रित जल नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक पी0एच0–5.50, कुल निलम्बित ठोस–180 मिग्रा0 / ली0, बी0ओ0डी0–460 मिग्रा0 / ली0, सी0ओ0डी0–980 मिग्रा0 / ली0 पायी गयी, जोकि निर्धारित मानकों से अधिक हैं। पूर्व निरीक्षण दिनॉक 02.01.2019, 04.01.2019 एवं 12.02.2019 के दौरान उक्त बाईपास ड्रेन को डिस्मेंटल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त बाईपास ड्रेन को डिस्मेंटल नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0–34 मिग्रा0 / ली0 की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पायी गयी, जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी ढंग से संचालन न करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200 / 2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200 / 2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुकम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा तैयार की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार दिनॉक 13.02.2019 से निरीक्षण दिनॉक 29.03.2019 के मध्य अर्थात् कुल 45 दिन का उल्लंघन मानते हुए उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर कॉम्प्लैक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध रू0–30,000 / – प्रतिदिन की दर से कुल रू0 13,50,000 / – की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1327761 /सी–3/जल–256/का0व0/मु0नगर/2019 दिनांक 15-2-19
पंजीकृत

सेवा में,

मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स),
तितावी,,
मुजफ्फरनगर।

यह कि मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स) तितावी, मुजफ्फरनगर जोकि कच्चे माल के रूप में 10500 टन/दिन गन्ने की पिराई कर चीनी के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 787/2018 अरविन्द कुमार बालियान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2018 के अनुपालन में उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर का संयुक्त निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 जल निगम एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक–02.01.2019 एवं 04.01.2019 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 आउटलेट से लिये गये उत्प्रवाह के नमूने में Oil & Grease की मात्रा 21 मिग्रा/ली0 पायी गयी, जो निर्धारित मानकों से अधिक है। निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा spray pond overflow एवं excess cooling tower condensate को जल सहमति शर्तों के अनुरूप ई0टी0पी0 से शुद्धिकृत न करते हुए बाईपास ड्रेन द्वारा निस्तारित किया जा रहा था, जो परिसर के बाहर निस्तारित हो रहा था तथा उक्त ड्रेन लगभग 3.5 किमी0 की दूरी पर हिण्डन नदी में मिलती पायी गयी। निरीक्षण के समय इकाई से जनित बाईपास ड्रेन में निस्तारित उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने में टी0एस0एस0–173 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–644 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–1021 मिग्रा0/ली0 पायी गयी, जो निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त से स्पष्ट है कि उद्योग को बोर्ड के पत्रांक 811 /UPPCB /Muzaffar Nagar (UPPCB RO)/CTO/water/Muzaffarnagar/2017, दिनांक–17.01.2018 द्वारा सशर्त सहमति जल प्रदान की गयी है, जिसकी शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नही किया जा रहा है।

यह कि उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रदत्त सहमति शर्तों का उल्लंघन कर प्रदूषित उत्प्रवाह कों बाईपास ड्रेन द्वारा निस्तारित किया जा रहा है, जिससे आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा 33 (ए) सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन औद्योगिक इकाई मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर को सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न औद्योगिक संयंत्र मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर को बोर्ड के पत्र संख्या 811 /UPPCB /Muzaffar Nagar (UPPCB RO)/CTO/water/Muzaffarnagar/2017, दिनांक–17.01.2018 द्वारा निर्गत सहमति जल को खण्डित (Revoke) कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न औद्योगिक संयंत्र मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया बन्द कर दी जाय।
3. यह कि क्यों न सक्षम प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि औद्योगिक संयंत्र मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर को मिलने वाली विद्युत एवं जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

..........2/–

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर पर रू0–50,000/– (रू0 पचास हजार मात्र) की दर से दिनॉक 02.01.2019 से दिनॉक 12.02.2019 तक की अवधि अर्थात् 42 दिनों की अवधि के लिए Non-compliance पाये जाने की स्थिति में रू0–21,00,000/– (रू0 इक्कीस लाख मात्र) का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मुजफ्फरनगर ।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, मुजफ्फरनगर ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन के सम्बन्ध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ संख्या H36333/सी–3/जल–256/मु0नगर/2019 दिनांक 23-5-19

सेवा में, पंजीकृत

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

विषय–मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्प्लेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित अर्थदण्ड को भू–राजस्व की भाँति वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या 187/2018 अरविन्द कुमार बालियान बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2018 के अनुपालन में उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0 (यूनिट तितावी शुगर काम्पलेक्स), तितावी, मुजफ्फरनगर का संयुक्त निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 जल निगम एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक–02.01.2019 एवं 04.01.2019 को किया गया था। संयुक्त निरीक्षण टीम की निरीक्षण आख्या में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों की अवहेलना कर अपना प्रदूषित उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा प्रदत्त जल सहमति शर्तों के अनुरूप ई0टी0पी0 से शुद्धिकृत न करते हुए बाईपास ड्रेन द्वारा निस्तारित किया जा रहा था। उक्त ड्रेन लगभग 3.5 किमी0 की दूरी पर हिण्डन नदी में मिलती पायी गयी। निरीक्षण के समय इकाई से जनित बाईपास ड्रेन में निस्तारित उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने में टी0एस0एस0–173 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–644 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–1021 मिग्रा0/ली0 निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या एच 32761/सी–3/जल–256/का0ब0/मु0नगर/2019, दिनॉक 15.02.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस में उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड रू0–21,00,000/– अधिरोपित किया गया था, जिसके सापेक्ष मात्र रू0–1,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड में जमा की गयी है। शेष धनराशि बोर्ड में अभी तक जमा नहीं की गयी है।

उद्योग का पुनः निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा दिनॉक 29.03.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा स्प्रे पाण्ड ओवरफ्लो एवं एक्सेस कूलिंग टावर कन्डनसेट को ई.टी.पी. के माध्यम से शुद्धिकृत न करते हुए बाईपास ड्रेन द्वारा रोड साइड ड्रेन जोकि हिण्डन नदी में मिलती है, में निस्तारित किया जा रहा था। पूर्व निरीक्षण दिनॉक 02.01.2019, 04.01.2019 एवं 12.02.2019 के दौरान उक्त बाईपास ड्रेन को डिस्मेंटल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु उद्योग द्वारा उक्त बाईपास ड्रेन निरीक्षण के समय डिस्मेंटल नही पायी गयी। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 के माध्यम से निस्तारित हो रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह के एकत्रित नमूने की विश्लेषण आख्या में प्रदूषित प्रचालक बी0ओ0डी0–34 मिग्रा0/ली0 की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने के कारण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 स0–200/2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र संख्या एच 35107/सी–3/जल-256 /मु0नगर/2019, दिनॉक 23.04.2019 द्वारा उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड रू0–13,50,000/– अधिरोपित किया गया था, जोकि बोर्ड में अभी तक जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200/2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुपालन में उद्योग

...........................2/–

के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित एवं अवशेष अर्थदण्ड रू0–20,00,000/– तथा पत्र दिनॉक 23.04.2019 द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड रू0–13,50,000/– अर्थात् कुल रू0–33,50,000/– की वसूली भू–राजस्व की भाँति कराते हुए उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिःक्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से समन्वय स्थापित कर आर0सी0 जारी करायें।

सदस्य सचिव